



Neutral Citation No. - 2026:AHC:13134

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट ए संख्या 476 सन् 2026

त्रिलोकी नाथ पांडे

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

.....प्रत्यर्थी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता

: चंद्र भान गुप्ता, करुणेश प्रताप सिंह

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता

: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री चंद्र भान गुप्ता ने दिनांक 20.01.2025 के उस आदेश को चुनौती देने के लिए नई याचिका दायर करने की स्वतंत्रता के साथ वर्तमान रिट याचिका वापस लेने का अनुरोध किया है, जिसमें याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी रद्द करने और सेवा समाप्ति का आदेश दिया गया है।
2. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को आज दिन के दौरान निर्देशों की एक प्रति तामील कराई जाए।
3. उपरोक्त छूट के साथ याचिका वापस ले ली गई मानकर खारिज की जाती है।

20 जनवरी, 2026

एन.एस.राठौर

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।